न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/108/2015

उनवान

1. रतन लाल पुत्र हेमराज ब्राह्मण निवासी फलासिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. कला पी ख्यालीराम ब्राह्मण (पत्नि श्याम लाल) हाल निवासी भैंसरोडगढ तहसील भैंसरोडगढ

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 20/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.5.2015

अधिवक्तागण :–

1.श्री दिनेश सिसोदिया,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री अशोक कुमार जीनगर,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक 24.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं उसके स्वर्गीय भाई ख्याली

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

लाल पुत्र हेमराज ब्राह्मण निवासी फलासीया के संयुक्त खाते की अविभाजित आराजी मौजा फलासीया पटवार हल्का बल्दरखा तहसील माण्डलगढ की राजस्व सीमा में आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 730 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 731 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 886/731 रकबा 5 बीघा , आराजी नम्बर 228 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 729 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 729/1 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 733 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादी एवं स्वर्गीय ख्याली लाल जी का वादग्रस्त आराजियात में बराबर का हक हिस्सा है।

2. वादी का भाई यजमान वृति का काम करता था इसलिए वे गांव गांव घूमते रहते थे, उनकी पत्नि श्रीमति नन्दू बाई की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी । उन दोनों को कोई पुरूष अथवा स्त्री संतान नहीं थी। इसलिए उन्होनें दिनांक 11.6.1984 को वादी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया । हमारें जाति समाज में किसी भी आयु के अपने परिवार के सदस्य को गोद लेने की प्राचीन प्रथा है गोद की साधारण रिति लहरिया बंधवाने व साधारण भोज करने व मंदिर जाकर धोक देने की व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न होती है जो वादी के साथ ख्याली लाल जी ने सम्पन्न की । दिनांक 21.10.2011 को ख्याली लाल जी की मृत्यु हो गई । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उत्तराधिकारिता क्रम में वादी एवं ख्याली लाल जी का सगा भाई होने से वही एक मात्र उनका जीवित उत्तराधिकारी है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. वादग्रस्त जायदाद स्व0 ख्याली लाल जी के जीवनकाल में ही वादी के कब्जे में थी क्योंकि ख्याली लाल जी यजमान वृति के लिए बाहर घूमते रहते थे। अधिकांश उनका समय मध्यप्रदेश राज्य में घूमते फिरते निकला वहीं उनकी मृत्यु हो गई । वादी ही उनकी मृत्यु के बाद उन्हे पलासीया लाया व सारे कियाकर्म किये उनकी पगडी भी वादी के उनका एकमात्र वारिस होने से बंधी। वादी द्वारा प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी से नामान्तरकरण द्वारा ख्याली लाल जी के हिस्से की भूमि को वादी के नाम पर दर्ज करने को कहा गया और गोदनामा बताया तो उसने वादी को निर्देश दिये कि गोद के मामले में सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही खाता परिवर्तन कर वादी के नाम पर दर्ज किया जायेगा । प्रतिवादी ने भी पटवारी हल्का से सहमत होते हुए वादी को न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी लेने हेतु चाराजोही कर आदेश प्राप्त करने के लिए कहा। अतः मौजा पलासीया स्थिति कृषि भूमि आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 730 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 731 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 886/731 रकबा 5 बीघा , आराजी नम्बर 228 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 729 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 729/1 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 733 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व ख्याली लाल का नाम खातेदारी से हटाने बाबत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी ने अपील के साथ अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ख्यालीलाल की पुत्री श्रीमती कला पुत्री ख्यालीलाल ब्राह्मण को अपीलार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाने क कारण वाद खारिज कर दिया । किसी भी आवश्यक पक्षकार को कभी भी पक्षकार बनाया जा सकता है या न्यायालय स्वयं भी प्रभावी व्यक्ति को पक्षकार बना सकता है अथवा पक्षकारों को तथाकथित व्यक्ति को पक्षकार बनाने के निर्देश दे सकता है। अतः श्रीमती कला को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार की जावे।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न तो पक्षकारों के आपसी समझाईस सामंजस्य व सहमति के आधार पर किया गया एवं न ही किसी प्रभावी पक्षकार की अनापत्ति पर किया गया है । लोक अदालत की परिधी में निर्णय व डिक्री पारित नहीं कर कानूनी त्रुटि निकाल कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो लोक अदालत में किये जाने वाले निर्णय की परिधी में नहीं आता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्व0.ख्यालीलाल जी के कोई पुरूष संतान नहीं होने से उन्होनें अपीलाण्ट को हिन्दु जाति के ब्राह्मण वर्ग की इस

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

क्षेत्र की प्रचलित हिन्दु परम्परा के अनुसार किसी भी आयु के व्यक्ति को गोद लेने में किसी प्रकार की रोक नहीं होने के कारण गोद लिया, सामान्य रूप से लहरिया बंधवाकर मंदिर में धोक लगवाकर भोज आमंत्रित कर परम्परा को निभाया एवं बाद में उसका विधिवत पंजीयन करवाया जो हिन्दु दत्तक अधिनियम के तहत वैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व्यवस्था के विरूद्ध जाकर विधि की जानकारी के अभाव मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि विचारण न्यायालय को यदि लंबित प्रकरण में किसी व्यक्ति की पक्षकारिता अथवा उसके पक्ष को सुनने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो न्यायालय प्रकरण में वादी को उस व्यक्ति को पक्षकार बनाने हेतु निर्देश दे सकती है। जिसे सुने बिना निर्णय संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति की पक्षकारिता के अभाव में वाद खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के मध्य किसी प्रकार का मतभेदनहीं है उसने स्वयं ने सहमति होकर अपीलार्थी को मृतक पिता स्व0 ख्याली लाल द्वारा गोद लेने के विचार को समर्थन किया । रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अपीलार्थी के यहॉ आती–जाती है व अपीलार्थी उसका मान–सम्मान कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के प्रति अपीलार्थी के उत्पन्न सामाजिक पारिवारिक व धार्मिक रिति रिवाज को सम्पन्न करता रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पुरूष संतान नहीं हो तो उसके जायन्द लडकी के होते हुए भी वह व्यक्ति पुरूष को गोद ले सकता है। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के होते हुए अपीलार्थी को गोद लिया गया है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी अशिक्षित ग्रामीण व काफी वृद्ध व्यक्ति है उसे कानून की कोई जानकारी नहीं है न ही पूरा बोलने व सुनने में समर्थ है । अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर सीट पर हस्ताक्षर करवाये व वहॉ से घर जाने के निर्देश दे दिये। अपीलाण्ट की उपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया है लिख कर निर्णय पारित किया है। जबकि निर्णय लिखने के पश्चात ही ऑर्डर सीट को पूरा किया जाना था। लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य राजीनामे से समझौता होने पर ही राजीनामे को तस्दीक किया जाकर निर्णय पारित किया जाता । अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की परिधी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त की जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ख्याली लाल जी की पुत्री है। जिसका वादग्रस्त आराजियात में हक अधिकार निहित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो बाद विचारण निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी उसके स्वर्गीय भाई ख्याली लाल पुत्र हेमराज ब्राह्मण निवासी फलासीया के संयुक्त खाते की अविभाजित आराजी मौजा फलासीया पटवार हल्का बल्दरखा तहसील माण्डलगढ की राजस्व सीमा में आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 730 रकबा 3 बीघा 05

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बिस्वा, आराजी नम्बर 731 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 886/731 रकबा 5 बीघा , आराजी नम्बर 228 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 729 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 729/1 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 733 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। अपीलार्थी का भाई यजमान वृति का काम करता था इसलिए वे गांव गांव घूमते रहते थे, उनकी पत्नि श्रीमति नन्दू बाई की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी । उन दोनों को कोई पुरूष अथवा स्त्री संतान नहीं थी। इसलिए उन्होनें दिनांक 11.6.1984 को वादी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया । दिनांक 21.10.2011 को ख्याली लाल जी की मृत्यु हो गई । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उत्तराधिकारिता क्रम में वादी एवं ख्याली लाल जी का सगा भाई होने से वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व ख्याली लाल का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

14. अपीलार्थी ने मूल वाद में स्व0 ख्याली लाल के कोई जायन्दा संतान नहीं होने का कथन किया था। अपील में ख्याली लाल के कला नामक पुत्री होने का कथन करते हुए उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में रेकार्ड पर लेने के लिए अपील के साथ आदेश 1 नियम 10 सी पी सी , धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर उसे पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया है। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है ।

15. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को ख्याली लाल की पुत्री होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में ख्याली लाल के अपीलार्थी के गोद जाने की स्थिति के बावजूद भी ख्याली लाल के हिस्से की आराजी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

में प्रत्यर्थी संख्या 2 का हक अधिकार जन्म से ही निहित होने के कारण उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी/वादी ने स्व0 ख्यालीलाल जो कि अपीलार्थी का सगा भाई है के कोई जायंदा संतान नहीं होने का कथन करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया था एवं ख्याली लाल की पत्नि की भी मृत्यु होने का कथन किया है। यद्यपि स्व0 ख्याली लाल ने अपीलार्थी को जाति रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया है एवं गोदनामे का पंजीयन भी कराया है । फिर भी मूल वाद में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर ही अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

16. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.2.2020 को उपस्थित रहें।

17. निर्णय आज दिनांक 24.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी (अ.बा.) पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.24 14:50:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: